



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 30/2014

प्रार्थी

1. दौलाराम पुत्र रामसुख
 2. त्रिलोकराम पुत्र रामसुख
 3. चन्द्राराम पुत्र रामसुख
 4. बादरराम पुत्र रामसुख
 5. कमली बेवा पोकरराम
 6. कैलाश पुत्र अमराराम
- सभी जातियान जटिया
निवासीगण कालारुना
तहसील बिलाड़ा, जिला
जोधपुर

बनाम

1. केसाराम पुत्र उम्मेदराम
2. मुन्नीराम पुत्र उम्मेदराम
3. सोहनलाल पुत्र उम्मेदराम
4. कमलादेवी पुत्री उम्मेदराम
5. जसौदा पत्नी पुखराज
6. खेमचन्द पुत्र पुखराज
7. नौरत्न पुत्र पुखराज
8. नरसिंग पुत्र पुखराज
9. खीवराज पुत्र पुखराज
10. घनश्याम पुत्र पुखराज
11. धारू पुत्री पुखराज
12. उलासी पुत्री पुखराज
13. संगीता पुत्री पुखराज सभी
जातियान जटिया निवासीगण
जसनगर तहसील मेड़ता सिटी
जिला नागौर
14. सैणाराम पुत्र जैरूपराम
15. देवाराम पुत्र जैरूपराम
16. संतोष पुत्री जैरूपराम
17. मोहनराम
18. सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा जिला जोधपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 14.07.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा केम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वकूलाय फरीकेन व पैरोकार सरकार उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से सम्बंधित राजस्व वाद संख्या 48/2014 दौलाराम बनाम केसाराम अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आज दिनांक 14.07.2017 को निर्णित हो चुका है। मूल वाद के निर्णित हो जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या 48/2014 दौलाराम बनाम केसाराम अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा